COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

नि.ग -695-PBR-16

1.श्रीमति गोराबाई आयु करीब 70 वर्ष, पत्नि स्व. श्री चिंतामन यादव,
2.मेघराज यादव आयु करीब 52 वर्ष, आ. स्व. श्री चिंतामन यादव,
3.नवल यादव आयु करीब 48 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री चिंतामन यादव,
4.विजय यादव आयु करीब 46 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री चिंतामन यादव,
5.कामता यादव आयु करीब 42 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री चिंतामन यादव,
6.मनोज यादव आयु करीब 38 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री चिंतामन यादव,
7.श्रीमतिशकुनबाई आयु करीब 39 वर्ष, पत्नि स्व.श्री मधुसूदन यादव,
8.अभिषेक यादव आयु करीब 24 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री मधुसूदन यादव,
9. अविनाश यादव आयु करीब 22 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री मधुसूदन यादव,
10. आशीष यादव आयु करीब 20 वर्ष, आत्मज. स्व0 श्री मधुसूदन यादव,
11.श्रीमतिशारदाबाई आयु करीब 62 वर्ष, पत्नि स्व. श्री दुलारे प्रसाद,
सभी निवासी ग्राम खारदा, तहसील सिवनी मालवा,
जिला होशंगाबाद..निगरानीकर्ता

बनाम

जयराम यादव आयु करीब 72 वर्ष, आत्मज स्व. श्री विश्राम यादव,
निवासी– 8 द्वारकापुरी, कोटरा सुल्तानाबाद रोड भोपाल,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल..उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959।

माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 34अ/6 वर्ष 2011–12 (पक्षकार जयराम बनाम शारदाबाई व अन्य) में पारित आदेश दिनॉक 13.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को धारा 47 म0प्र0भू0राजस्व संहिता एवं धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने जिससे दुःखित एवं विपरीत प्रभावित होकर निगरानीकर्ता उक्त निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करती हैं:–

प्रकरण के तथ्य

निगरानीकर्ता का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण के विरूद्व उत्तरवादी ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनीमालवा के समक्ष एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत खारदा, तहसील सिवनीमालवा के संशोधन क्रमांक 36/176 दिनॉक 01.04.2000 एवं संशोधन क्रमांक 40 दिनॉक 01.04.2000 के संबंध में पारित नामांतरण आदेश को चुनौती देते हुए यह अभिवचन किए कि उत्तरवादी भोपाल में निवास करता हैं इसलिए उसे कथित संशोधन की जानकारी नहीं थी, तथा उसे प्रथम बार दिनॉक 13.04.2012 को कथित संशोधन की जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए जानकारी प्रथम बार दिनॉक 13.04.

R 695-PBR/16 (होशंगाबाद)

शांतिबाई / जयराम

29.12.2016	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 23.8.2016 की पेशी की तामील आवेदकगण पर हो चुकी है। अतः आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

आसमुद्रा—116—फॉर्म—23-3-13—10,000 प्रपत्र.

अध्यक्ष